

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 01 पूर्ण स्थायी निःशक्तता के मामले में ₹ 75000/- (पचहतर हजार रूपए) एवं 06 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 255000/- (दो लाख पचपन हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्योरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० उषा देवी, अ० पि० जाति	श्री मनोज मंडल(पति)	85/12.3.18	ग्रा०-लोदिया, पो०-दामोदरपुर, था०+प्र०+जि०-लखीसराय	31210110 063513	बिहार ग्रामीण बैंक विद्यापीठ, लखीसराय UCBAORRBBKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
2	स्व० गोपाल मांझी, श्री दुरीक मांझी, अनु० जाति	श्रीमती सुनीता देवी(पत्नी)	97/20.3.18	ग्रा०-गोलभठा, पो०+था०+प्र०-बड़हिया, लखीसराय	31100110 006446	BGB Barahiya, UCBAORRBBKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
3	मो० फिरोज, मो० सुभान, सामान्य	स्वयं	160/12.5.18	ग्रा०-पुरानी छावनी इंग्लीस बड़हिया, वार्ड नं०-09, पो०+था०+प्र०-बड़हिया, लखीसराय	05660100 011707	UCO BANK Barahiya, UCBA0000566	₹ 75000/- (पचहतर हजार रूपए)	पूर्ण स्थायी निःशक्तता, छाता मरम्मत व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० अनील भगत, श्री भाषो भगत, सामान्य	श्रीमती बबीता देवी(पत्नी)	161/12.5.18	ग्रा०-धर्मरायचक, पो०+था०+प्र०+जि०-लखीसराय	62450201 0000245	Union Bank of India, UBIN0562459	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० बबलू यादव, स्व० भुपत यादव, सामान्य	श्रीमती रानी देवी(पत्नी)	162/12.5.18	ग्रा०+पो०+था०+प्र०-बड़हिया, लखीसराय	30712931 926	SBI Barahiya, SBIIN0002916	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, लॉडिंग अन्वर्तन व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० डोमन दास, श्री विशुन देव दास, अनु० जाति	श्रीमती गीता देवी(पत्नी)	164/12.5.18	ग्रा०-मसुरचक वार्ड नं०-09, पो०+था०+प्र०+जि०-लखीसराय	31210110 106948	BGB Vidyapith, UCBAORRBBKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० सेठ साव, स्व० वासुदेव साव, पि० वर्ग	श्रीमती कुन्ती देवी(पत्नी)	165/12.5.18	ग्रा०-नया बाजार, समिति शांति कॉम्प्लेक्स के पीछे लखीसराय, वार्ड नं० 29	46471010 0004568	Bank of India, Lakhisarai, BKID0004647	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 255000/-

(दो लाख पचपन हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-15/2018 के पृष्ठ-06/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 255000/- (दो लाख पचपन हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, लखीसराय के उनके पत्रांक 172 दिनांक 18.5.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, लखीसराय को उनके पत्रांक 85 दिनांक 12.3.18, 97 दिनांक 20.3.18, 160, 161, 162, 164, 165 दिनांक 12.5.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018 - 267

पटना, दिनांक :- 21.06.2018

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।